# पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)

टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com


क्रमांक: एफ. ( ) सम्बद्धता/ 1316 दिनांक 18.11.2017

## परिपत्र

परिपत्रित किया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा गठित अक्षय निधि पुनर्विचार समिति के प्रतिवेदन के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम की धारा 49 (अंतःकालीनं उपबंध) के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय में दिनांक 12.10.2012 के दिन प्रभावी अक्षय निधि नियम जब तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा नहीं बदले जाते हैं, तब तक प्रभावी रहते हैं, इस कारण से उक्त परिस्थिति में प्रभावी नियमानुसार निम्न प्रकार से अक्षय निधि पुनः निर्धारित की जाती है:

**नियम–1:**

| क्र.सं. | निधि रूपयों में | प्रति कार्यक्रम |
|---|---|---|
| 1 | पांच लाख | कला एवं समाज विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य |
| 2 | दस लाख | व्यावसायिक कार्यक्रम (BBA, BCA, Law etc.) |

**स्पष्टता:** 1. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विधि संकाय का तीन वर्षीय एवं पांच वर्षीय स्नातक कार्यक्रम एवं शिक्षा संकाय के सभी कार्यक्रम शामिल होंगे।

2. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अक्षय निधि, एक सामान्य नियमानुसार सामान्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों से अधिक ही होगी।

3. यदि कोई इंटिग्रेटेड पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2018–19 अथवा इसके बाद के सत्रों से प्रस्तावित है तो उन पाठ्यक्रमों में चूंकि दो पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते हैं तथा दो उपाधियां प्रदान की जाती हैं, अतः अक्षय निधि का निर्धारण दोनों उपाधियों के लिए अलग–अलग जो भी अक्षय निधि प्रस्तावित है, के कुल योग में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान कर जो भी राशि बनती है, के अनुसार अक्षय निधि का गठन करना होगा।

**नोट:** अक्षय निधि एक ऐसा सुरक्षा मूल्य है जो उन परिस्थितियों में देय होता है जब महाविद्यालय किन्हीं कारणों से अपने दायित्व पूरे नहीं कर पाता है। ऐसे में इसका निर्धारण संभावित देय को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उक्त निर्धारण पुराना है, जिसकी पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है।

**नियम–2:** नियम–1 के प्रावधानों के प्रभाव में आने की तिथि से पुराने सभी नियम स्वतः निरसित समझे जायेंगे।

**छूट:** ऐसे महाविद्यालय जो राजस्थान विश्वविद्यालय के समय से ही सम्बद्धता रखते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय के अलग होते ही अपने पाठ्यक्रमों के अनुसार अक्षय निधि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में गठित करनी चाहिए। ऐसे महाविद्यालयों को उक्त पाठ्यक्रमों के लिए यदि वे दिनांक 20.12.2017 तक अक्षय निधि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के साथ गठित करते हैं, तो उन्हें प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए देय अक्षय निधि में 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। तदनानुसार तत्पश्चात उन्हें सामान्य नियम के अनुसार अक्षय निधि का गठन करना होगा।

**स्पष्टता–1:** किसी भी महाविद्यालय के लिए सम्बद्धता के रूप में विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में तभी माना जायेगा, जब संबंधित महाविद्यालय ने अक्षय निधि का गठन कर लिया हो तथा महाविद्यालय का निरीक्षण करवाकर सम्बद्धता प्राप्त कर ली हो।

**स्पष्टता–2:** यदि कोई महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त नहीं करता है तो ऐसे महाविद्यालय को सम्बद्धता के अभाव में एक सम्बद्ध महाविद्यालय के रूप में प्राप्य अधिकारों एवं उनकी परीक्षा आयोजित करवाना वैधानिक रूप से विश्वविद्यालय के लिए संभव नहीं होता है।

कुलसचिव

क्रमांक: एफ. ( ) सम्बद्धता/ 1316 दिनांक 18.11.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. कुलपति सचिवालय।
2. आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. प्राचार्य, समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय, जिला सीकर एवं झुंझुनू।
4. वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक/प्रभारी संस्थापन।
5. वेबसाईट प्रभारी, अपलोड किये जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव